राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/ e-mail: jdadmn.cce@gmail.com Ph.: 0141-2702247

क्रमांक : एफ.1( )प्रशा./आकाशि/से.नि. 2025–26/2024/ दिनांक :

समस्त प्राचार्य,
राजकीय महाविद्यालय/राजकीय कन्या महाविद्यालय/
राजकीय विधि महाविद्यालय, राजस्थान/ राज. संगीत संस्थान, जयपुर/राज. स्कूल ऑफ आर्ट, जयपुर।
समस्त सहायक निदेशक,
क्षेत्रीय कार्यालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान।

विषय : वर्ष 2025–26 (जिनकी जन्म तिथि 02 अप्रेल, 1965 से 01 अप्रेल, 1966 है) में सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों (प्राचार्य सहित) एवं कर्मचारियों की सूची भेजने बाबत्।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वर्ष 2025–26 (जिनकी जन्म तिथि 02 अप्रेल, 1965 से 01 अप्रेल, 1966 है) में सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों (प्राचार्य सहित) एवं कर्मचारियों की सूचना सेवा पुस्तिका के आधार पर पृथर्क–पृथक (शैक्षणिक/अशैक्षणिक) निम्न प्रारूप में भरकर इस कार्यालय को 31 मई, 2024 तक ई–डाक के माध्यम से संस्थापन अधिकारी की SSO ID RJDA199013017131 पर ही भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित की गई सूचना पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

साथ ही यह भी सुनिश्चित कर लेवें कि आपके महाविद्यालय/कार्यालय में वर्ष 2025–26 (जिनकी जन्म तिथि 02 अप्रेल, 1965 से 01 अप्रेल, 1966 है) में सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों (प्राचार्य सहित) एवं कर्मचारियों का नाम सूची में अंकित करने से वंचित नहीं रह जावे। **नाम एवं जन्म दिनांक का सेवा पुस्तिका से मिलान करते समय विशेष ध्यान रखा जावे कि कोई वर्तनी सम्बन्धी अशुद्धि न रहे।** आप द्वारा प्रेषित की जाने वाली सूची में किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप स्वयं व्यक्तिशः जिम्मेदार होंगे। सूची भिजवाये जाने के उपरान्त आपके महाविद्यालय में यदि कोई अधिकारी (प्राचार्य सहित) एव कर्मचारी स्थानान्तरित/पदस्थापित हो जाता है तो उसकी सूचना भी **ई–डाक** के माध्यम से ही भिजवाया जाना सुनिश्चित करें :–

RajKaj Ref
7014357

Signature valid
Digitally signed by Pukhraj Sen
Designation: Commissioner
Date: 2024.05.08 12:19:51 IST
Reason: Approved

क्र.स.	सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी/कर्मचारी का नाम मय पिता का नाम (सेवा पुस्तिका अनुसार)	पद	जन्म तिथि	अधिवार्षिकी आयु प्राप्त करने की तिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1	2	3	4	5	6

आर.वी.आर.ई.एस. अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सूचना देते समय उनके नाम के आगे **आर.वी.आर.ई.एस.** लिखा जाना सुनिश्चित करे ताकि सेवानिवृत्ति आदेश जारी करते समय **आर.वी.आर.ई.एस.** लिखा जा सके। यदि उक्त अवधि में आपके महाविद्यालय/कार्यालय से सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों की सूचना शून्य है तो शून्य की सूचना प्रेषित करें।

अधिकारियों/कर्मचारियों के सम्बन्ध में सेवानिवृत्ति सूचना के साथ यह प्रमाण–पत्र भी भिजवाया जाना सुनिश्चित करें :–

"प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/डॉ. .... पिता का नाम .... पद .... के विरूद्ध सी.सी.ए. नियम 16 एवं 17 के अन्तर्गत कोई विभागीय जांच विचाराधीन नहीं है और न ही प्रस्तावित है। गबन एवं चोरी का मामला विचाराधीन नहीं है और न ही कोई राजकीय राशि बकाया है।"

ज्ञातव्य रहे कि सेवानिवृत्ति हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार को छः माह पूर्व प्रेषित करने होते हैं। अतः समय का विशेष ध्यान रखें।

(पुखराज सेन)
आयुक्त

क्रमांक : एफ.1( )प्रशा./आकाशि/से.नि. 2025–26/2024/ दिनांक :

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

01. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
02. निजी सचिव, अतिरिक्त आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
03. स्थापना शाखा (शैक्षणिक/अशैक्षणिक), आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
04. वेबसाईट प्रभारी, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
05. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

RajKaj Ref
7014357

Signature valid
Digitally signed by Pukhraj Sen
Designation: Commissioner
Date: 2024.05.08 12:19:51 IST
Reason: Approved